2.10.19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता उप० / वकील अपीलार्थी द्वारा पूर्व में दिनांक 9.8.18 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बाबत आक्षेप अवेट किये जाने पर बहस हेतु उचित है अतः पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना दिनांक 4/11/19 को पेश हो।
4/11/19	प्रत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/ यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/11/19 को पेश हो।
18/11/19	प्रत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/ यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4/12/19 को पेश हो।
4.12.19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता उप०। पत्रावली वास्ते बहस आपत्ति अवेट किये जाने दिनांक 10/12/19 को पेश हो।
10/12/19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता उप०। बहस प्रार्थी के आवेदन अवेट किये जाने पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 26/12/19 को पेश हो।
26/12/19	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता उप०। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी की बहस पर गौर किया। प्रार्थी के आवेदन सं० 1 ता 9 के आवेदन को स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी के प्रार्थनापत्र द० धारा 25 / (ए) आरटीई को अवेट हो जाने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

अपेक्षित नहीं है। निर्णय प्रपत्र से [illegible] जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... मुख्यालय सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

बहजलाल राजपाल यादव आरएएस

प्रकरण सं0 08/2018/251–ए आरटीए

भगवाना आदि

गुटाराम आदि बनाम

प्रार्थना–पत्र बाबत आवेदन अबैट किये जाने

उपस्थिति–
1. श्री महेश कुमार जागिड, वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 की ओर से
2. श्री कैलाश सोनी, वकील जवाबदाता/प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक– 26.12.2019

01. वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 की ओर से आवेदन बाबत प्रकरण अबैट किये जाने पेश किया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि उपर्युक्त उनवान प्रकरण में अप्रार्थी सं. 10 जगदीश का देहान्त दिनांक 06 फरवरी, 2018 को धोद स्थित अपने आवासगृह पर हो गया था। मृतक जगदीश के कायम मुकाम को 90 दिवस में रिकॉर्ड पर नहीं लिये जाने से हस्तगत आवेदन अबैट हो चुका है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि हस्तगत आवेदन को अबैट किया जावें।

02. प्रार्थना–पत्र पेश होने पर प्रार्थना–पत्र की प्रति वकील जवाबदाता/प्रार्थीगण को दिलाई गई। वकील जवाबदाता/प्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि उपर्युक्त उनवान प्रकरण में अप्रार्थी सं. 10 जगदीश का स्वर्गवास हो चुका है। उक्त जगदीश अविवाहित था, जिसके पिता पूर्णाराम का भी उससे पूर्व स्वर्गवास हो चुका है। उसकी माता पतासी एवं भाई नाथूराम व भींवाराम पूर्व से ही इस आवेदन में पक्षकार है। इसलिए उक्त जगदीश अप्रार्थी सं. 10 का नाम डिलीट किया जावें।

03. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 ने बहस के दौरान प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराया। इसके विपरीत वकील जवाबदाता/प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना–पत्र के जवाब के तथ्यों को दोहराया।

04. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी सं. 10 जगदीश की मृत्यु दिनांक 06.02.2018 को होना निर्विवाद रूप से प्रमाणित है। इस बात से दोनों पक्ष सहमत है। प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों एक ही ग्राम धोद व एक ही जाति के सदस्य है। दोनों की भूमि पास–पास स्थित है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगणों को अप्रार्थी सं. 10 की मृत्यु की जानकारी उसकी मृत्यु दिनांक 06.02.2018 से ही थी, लेकिन इनके द्वारा कायम मुकाम का कोई आवेदन पेश नहीं किया गया। नियमानुसार पक्षकार की मृत्यु के 90 दिवस के भीतर कायम मुकाम का आवेदन प्रस्तुत करना जरूरी है। वकील अप्रार्थी द्वारा जब उक्त अबैट का आवेदन पेश किया तो उसके जवाब में प्रार्थी ने यह उत्तर पेश किया है कि जगदीश की मृत्यु हो चुकी है, उसके पिता की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है तथा उसकी माता व भाई पूर्व में अप्रार्थी के रूप में

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

संयोजित है। अतः जगदीश का नाम डिलीट किया जावे। प्रार्थी ने अपने जवाब में यह अंकित नहीं किया है कि "किन कारणों से वह अप्रार्थी सं. 10 की मृत्यु की जानकारी न्यायालय को नहीं दे पाया।" उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगणों ने जानकारी होने के बावजूद भी जानबूझकर अप्रार्थी सं. 10 की मृत्यु की जानकारी न्यायालय को नहीं दी।

अतः अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 के आवेदन को स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आरटीए को अबेट हो जाने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी धोद मु0 सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2020.01.01 13:18:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: